कुल पृष्ठ संख्या–24 (कवर पेज सहित ) B.S.E.R. क्रम संख्या....

# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

## माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English
(In Figures) [redacted]
(In Words) [redacted]
परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में
शब्दों में [redacted]

नोट :– परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम – हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐

विषय Social Science

परीक्षा का दिन Wednesday

दिनांक 21-03-19

नोट :– परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :– (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदारणार्थ : 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

### प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

| प्रश्नों की क्रम संख्या | प्राप्तांक | प्रश्नों की क्रम संख्या | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | |
| 2 | | 20 | |
| 3 | | 21 | |
| 4 | | 22 | |
| 5 | | 23 | |
| 6 | | 24 | |
| 7 | | 25 | |
| 8 | | 26 | |
| 9 | | 27 | |
| 10 | | 28 | |
| 11 | | 29 | |
| 12 | | 30 | |
| 13 | | 31 | |
| 14 | | योग | |
| 15 | | प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off) | |
| 16 | | अंकों में | शब्दों में |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

परीक्षक के हस्ताक्षर ........................ संकेतांक ☐☐☐☐☐

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है।165/2019

## परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशषां पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न–पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
    (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
    (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर–पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
    (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध हैं।
    (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस–पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
    (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

| परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर |
|---|---|---|
| | 1 | दो महाजनपद - काशी, कुरु। |
| | 2 | सल्तनत काल में दरखवास्त सुनवाई के लिए एक विशेष विभाग था जिसे दीवाने - आरिज कहा जाता था व यह दिल्ली सल्तनत का प्रधान सेनापति होता था। |
| | 3 | लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के दो समर्थक - मिस फॉलेट, डिग्वी। |
| | 4 | तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कर्नाटक व आंध्रप्रदेश राज्य हिस्सेदार हैं। |
| | 5 | उपयोगिता का सृजन व मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। |
| | 6 | तृतीयक क्षेत्र की दो गतिविधियाँ - परिवहन व संचार गतिविधियाँ। |
| | 7 | नीति आयोग का कार्य केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ जोड़ना व थिंक टैंक की क्षमताओं को मजबूत करना है। |
| | 8 | समग्र माँग में वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति माँग प्रेरित मुद्रास्फीति [Demand Driven Inflation] कहलाती है। |
| | 9 | गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ है-'गरीबी का परिणाम गरीबी ही होता है। गरीबी में जन्म लेना हमारा दोष नही, गरीबी में मरना यह हमारा दोष है।' |
| | 10 | कृषि क्षेत्र या मौसम पर आधारित कार्यों में उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे- कृषि क्षेत्र में उत्पन्न बेरोजगारी। |

11 मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा नेता के रूप में हम निम्न कार्य करेंगे-

(i) विधेयक [साधारण, वित्तीय] विधानमण्डल में प्रस्तुत करवाना।

(ii) आगामी वर्ष के बजट को विधानमण्डल में प्रस्तुत करवाना।

12 पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति 'टांका' द्वारा की जा सकती है।

टांका के निर्माण संबंधी दो विशेषताएँ-

(i) इसका व्यास 4-5 फुट होता है।

(ii) टांका के अन्दर राख व बजरी का लेप किया जाता है ताकि जल रिसकर भूमि में न जाए।

13 चावल उत्पादन के लिए तापमान 12-35°C चाहिए व वर्षा 75-200 cm. चाहिए क्योंकि चावल खरीफ की फसल है, इसे अधिक तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है।

14

| सूचि- I<br>(कोयले के प्रकार) | सूचि-II<br>(कार्बन की मात्रा) |
|---|---|
| [अ] बिटुमिनस | (i) 35-50% |
| [ब] लिग्नाइट | (ii) 15-35% |
| [स] पीट | (iii) 80-90% |
| [द] एन्थ्रेसाइट | (iv) 75-80% |

सुमेलन- [अ] - (iv)
(ब) - (i)
(स) - (ii)
(द) - (iii)

15 लखनऊ के समीप गोमती नदी में मछलियों को मरने से बचाने के लिए हम निम्न दो उमाय सुझायेंगे-

(i) औद्योगिक अपशिष्ट को गोमती नदी में नहीं बहाना चाहिए।

(ii) गोमती नदी की समयानुसार सफाई कर जलकुम्भी को हटाना चाहिए।

16 राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही चार योजनाएँ निम्न हैं-

(i) आपकी बेटी योजना।

(ii) कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय [K.G.B.V.]।

(iii) गार्गी पुरस्कार वितरण।

(iv) देवनारायण स्कूटी वितरण योजना।

17 इन्टरनेट के महत्व के चार बिन्दु निम्न हैं-

(i) इन्टरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है।

(ii) उस व्यक्ति को ई-मेल भेजी जा सकती है।

(iii) इसके माध्यम से टेलिमेडिसिन सेवाएँ, वीडियो कान्फ्रेंसिंग आदि की जा सकती है।

(iv) इन्टरनेट के माध्यम से देश के महत्त्वपूर्ण तथ्यों व प्राचीन जानकारियों को झट से देख सकते हैं।

18 वाहन चलाते समय चालक को निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए-

(i) चालक को सामने के सीसे व विंड स्क्रिन को साफ रखना चाहिए।

(ii) डिपर, इन्डीकेटर, परावर्तकों आदि का प्रयोग करना चाहिए।

(iii) ड्राइविंग लाइसेंस व प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखना चाहिए।

(iv) सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।

19 स्वच्छता के दो प्रकार-

(i) सामुदायिक स्वच्छता :- इसे CLTS [Community Led Total Sanitation] स्वच्छता भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य सम्पूर्ण ग्रामीणों व नागरिकों द्वारा अपनायी गयी स्वच्छता से है।

(ii) शुष्क स्वच्छता :- शुष्क स्वच्छता से तात्पर्य शौचालय, पेशाबघर आदि के प्रयोग से है, केवल हाथ धोने की इसकी विशेषता इसका उद्देश्य नहीं है।

20 धम्मयात्रा :- मौर्य काल में धम्म महामात्रों को प्रति वर्ष में लोगों की नैतिक उन्नति, उनमें सद्गुणों की भावना भरने, जेल में स्थित लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता के लिए यात्रा पर भेजा जाता था, इसे अनुसंधान व धम्मयात्रा कहा जाता था।

धम्ममहामात्र :- अनुसंधान व यात्रा पर भेजने के लिए कई युक्तकों का चयन किया जाता था, जिन्हें धम्ममहामात्र कहा जाता था। इनका कार्य धम्म का प्रचार व प्रसार करना था। इनका नियुक्ति संबंधी कार्य अशोक के 8वें अभिलेख पर वर्णित थे।

21 महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने अनेक कदम उठाये। 1570ई. में अकबर का नागौर दरबार लगा जिसमे महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं हुए। अकबर उसके प्रदेश जीतकर उसे अपने अधीन करना चाहता था। उन्होंने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए चार दल भेजे

जो निम्न है -

(i) प्रथम दल - जून 1572 - जलाल खाँ
(ii) द्वितीय दल - अक्टूबर 1572 - मानसिंह
(iii) तृतीय दल - 1572 - भगवान दास
(iv) चतुर्थ दल - 1573 - टोडरमल

अकबर के चार दलो के रत्नों के समझाने पर भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ मानसिंह के नेतृत्व में विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ई. में लड़ा। महाराणा प्रताप द्वारा कोल्यारी गाँव पर अपनी अस्थायी राजधानी बनाना युद्ध में विजेता होना सिद्ध करता है।

इस प्रकार अकबर के अनेक कदम उठाने पर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।

22 यूरोम में राष्ट्रवाद उदय होने के चार कारण निम्न है-

(i) मध्यम वर्ग का उदय :- पश्चिमी व मध्य यूरोप अधिकांशत: कृषि करता था। इनकी भूमि जागीरदारों के हाथ में थी। इसके अलावा कृषक कास्तकार का कार्य करते थे। इन्हीं परिस्थितियों में मध्य यूरोप में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो श्रम व कार्य पर आधारित था। इस कारण यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा।

(ii) उदारवाद की भावना :- लोगों के संगठित होने से उनमें उदारवाद की भावना जागने लगी। उदारवाद का आशय मर्यादित स्वतंत्रता व समानता से है। इसका लक्ष्य यूरोप देश को गणतंत्र के रूप में उदय करना था। उस काल में जब व्यक्ति अपना सामान बेचने के लिए हेम्सबर्ग से न्यूरेम्बर्ग में जाता था तो ग्यारह सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। इसके लिए आर्थिक शुल्क संघ जॉलवरीन की स्थापना 1834 ई.

में की गयी।

(iii) इंग्लैंड व फ्रांस की गौरवपूर्ण क्रांति :- यूरोपवासियों को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से यह सीख मिली कि संवैधानिक कार्यों में दैवी अधिकारों की कोई जरूरत नहीं। फ्रांस की क्रांति से यह परिणाम निकला कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि इसकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता।

(iv) भाषा व लोककथाओं का योगदान :- यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को उदयित करने के लिए भाषा व लोककथाओं का अहम योगदान था। इसके माध्यम से लोग एकजुट हो गये।

23 हम लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न दो स्थितियों को आवश्यक मानते हैं-

(i) स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना :- लोकतंत्र के सुचारु रूप से संचालन के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च व उच्च न्यायालय में जा सकता है। व्यक्ति बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, परमादेश, प्रतिषेध आदि के मामले में रिट कर सकता है। इसलिए इसकी स्थापना आवश्यक है।

(ii) ~~सामि~~ सामाजिक न्याय :- लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना अत्यावश्यक है। जिसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग आदि को समान रूप से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसलिए सामाजिक न्याय अत्यावश्यक है।

२4 स्वदेशी से होने वाले चार लाभ निम्न हैं-

(i) 'स्वदेशी' की भावना से प्रत्येक देश आत्मनिर्भर बन जाता है। उसे संकटकाल की स्थिति में किसी अन्य से सहायता माँगने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) 'स्वदेशी' से सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय आय, घरेलू साधन आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद आदि में बृद्धि होती है।

(iii) 'स्वदेशी' के माध्यम से देश के आयात घट जाते हैं व निर्यात बढ जाते हैं। जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।

(iv) 'स्वदेशी' के माध्यम से वैश्वीकरण के नाम पर होने वाली लूट व बाहरी देशों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर होने वाले शोषण से छुटकारा मिलता है।

२5

| संस्थागत स्त्रोत | गैर संस्थागत स्त्रोत |
|---|---|
| (i) साख के संस्थागत स्त्रोत द्वारा व्यक्ति ऋण कम ब्याज पर व बचत को जमा कर सकता है। | (i) साख के गैर संस्थागत स्त्रोत में भी व्यक्ति अपनी बचत व ऋण ले सकता है। परन्तु इसमे ब्याज दर अधिक होती है। |
| (ii) ये भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार के अधीन होते हैं। | (ii) ये किसी के भी अधीन नहीं होते। ये तो साहुकार, देशी बैंकर होते हैं। |
| (iii) ये स्थायी प्रवृति के होते हैं व धन डूबने की आशंका बहुत कम होती है। | (iii) ये अस्थायी प्रवृति के हाते हैं व धन डूबने की आशंका बनी रहती है। |
| (iv) इनकी ऋण देने की क्रिया कठिन होती है। | (iv) इनकी ऋण देने की क्रिया सरल होती है। |
| जैसे- बैंक, A.T.M. | जैसे :- देशी बैंकर, साहुकार। |

२६ उपभोक्ता को हानि से बचने के लिए निम्न कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए-

(i) उपभोक्ता को सामग्री खरीदते समय उसके पोषक तत्वों की मात्रा व अन्य पदार्थों की मात्रा की जाँच करनी चाहि।

(ii) उपभोक्ता को सामग्री का बिल / क्रय संविदा आदि प्राप्त करनी चाहिए।

(iii) विलंबित भुगतान की उचित खीद होनी चाहिए।

(iv) सामग्री पर ISI | AG | FPO | ECO आदि चिह्नों को देख कर सामग्री लेनी चाहिए।

(v) दुकानदार के विरुद्ध उचित शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।

(vi) उपभोक्ता को परिसंकटमय माल के विरुद्ध परितोष प्राप्त होना चाहिए।

(vii) शिकायत के लिए उचित सबूत व दस्तावेज होने चाहिए।

(viii) उपभोक्ता को सूचना न मिलने पर जिला आयोग, राज्य आयोग के समक्ष अपील करनी चाहिए।

२७ राजस्थान में किसान आन्दोलन के प्रमुख कारण निम्न हैं-

(i) किसानों से अत्यधिक कर वसूलना।

(ii) दासों की संख्या में बढ़ोतरी होना।

(iii) जमीन के कागज हडपना।

(iv) लगान जिन्स व अनाज के रूप में देना।

(v) किसानों से ऐसी स्थिति में फसल का उत्पादन करवान जो किसानों के लिए उचित न हो।

(vi) किसानों से बेगारी करवाना।

(vii) जाली दस्तखत व अंगूठे लगवाना।

राजस्थान के प्रमुख दो किसान आन्दोलन-

(i) बिजौलिया किसान आन्दोलन :- यह आन्दोलन 1894 से 1941 के मध्य चलाया गया। इस आन्दोलन में भाग लेने वाले अधिकांश किसान धाकड जाति के थे। किसानों पर 84 प्रकार की लाग-बाग लगी हुई थी। गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्युभोज पर लोग इस संबंध में एकत्रित में हुये। किसानों पर कर भार हटाने की बजाय कर बढ़ाया दिया व एक विवाह संबंधी कर 'चँवरी कर' व उत्तराधिकारी कर 'तलवार बँधाई कर' लगा दिया। इसका विरोध साधु सीताराम दास, फतह करण चारण, विजयसिंह पथिक आदि ने किया। विजयसिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल डंका समिति' नामक पत्र निकाला। गणेशचन्द्र विद्यार्थी को चाँदी की राखी भेजी। इसके अलावा इसकी खबर प्रताप व मराठा अखबार में भी छपी। माणिक्य-लाल वर्मा ने 'पंछिड़ा गीत' की रचना की। इस आन्दोलन की संक्षिप्त जानकारी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि से भी मिलती है।

(ii) सीकर किसान आन्दोलन :- यह आन्दोलन 1821 से 1835 के मध्य चलाया गया।

इस आन्दोलन में भाग लेने वाले किसान भी धाकड़ जाति के थे। यह आन्दोलन राजस्थान के सीकर जिले में चलाया गया। इस आन्दोलन के अन्दर 'जाट प्रजापति महायज्ञ' हुआ जो बसंत पंचमी के दिन होने वाला राजपूताने का सबसे बड़ा यज्ञ था। 25 अप्रैल 1825 में किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसके बाद 25 अप्रैल 1826 के दिन अंग्रेज कर लेने के लिए पहुँचे तो धापी देवी के नेतृत्व में नेतराम, टीकाराम, तुलछाराम ~~सम~~ मारे गए।

२४ संविधान के अनुच्छेद-74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ :-

(i) **मंत्रिपरिषद् का निर्माण** :- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए जाने के बाद अपने ही दल में से मंत्रियों का निर्माण कर मंत्रिपरिषद् गठित करता है।

(ii) **मंत्रियों में कार्य-विभाजन** :- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

(iii) **मंत्रियों का कार्य संचालन** :- प्रधानमंत्री अपनी कार्य सूची 'एजेण्डा' तैयार कर मंत्रियों के कार्य संचालन की देख-रेख करता है।

(iv) **शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय** :- प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है ताकि सम्पूर्ण तंत्र एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

(v) **~~विध~~ लोकसभा का नेता** :- प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता होता है। वहीं बजट व कानून निर्माण संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत करवाता है।

(vi) **मंत्रिमण्डल व संसद तथा राष्ट्रपति के बीच की कड़ी** :- प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल व राष्ट्रपति के मध्य सेतु का कार्य करता है। राष्ट्रपति के समस्त नियमों व निर्देशों को मंत्रिमण्डल तक पहुँचाने का कार्य करता है।

| परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर |
|---|---|---|

(vii) नियुक्ति संबंधी कार्य :- राष्ट्रपति जिन मंत्रियों व अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, वे व्यवहार में प्रधानमंत्री द्वारा सम्पन्न की जाती है।

21) राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ :-

(i) कार्यपालिका शक्तियाँ :- राज्यपाल समस्त कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।

वह विभिन्न मंत्रियों व अध्यक्षों की नियुक्ति का कार्य करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संसद में बजट प्रस्तुत करवाता है व संचित निधि का मालिक होता है। उच्च न्यायालय, मंत्रियों, मुख्यमंत्री आदि को राज्यपाल पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनेक मंत्रियों, अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी कार्य व्यवहार में मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सम्पन्न करता है।

(ii) विधायी शक्तियाँ :- राज्यपाल विधानसभा की प्रथम बैठक को संबोधित करता है व विधानसभा के कार्य को संचालन करता है। वह विधानसभा को संबोधित व अपदस्थ करता है।

राज्यपाल किसी भी विधेयक को प्रथम बार नामंजूर कर सकता है। लेकिन द्वितीय बार विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक होता है।

जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल को लगे कि कोई नियम बनवाना आवश्यक है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश विधानसभा द्वारा नामंजूर करने पर 6 माह के भीतर हटाना आवश्यक होगा।

राज्यपाल विधानसभा में यदि ओंग्ल-भारतीय सदस्य को प्रतिनिधित्व देना चाहे तो 1 सदस्थ वह मनोनित कर सकता है। इसके अन्यत्र राज्यपाल विधानपरिषद् में 1/6 सदस्यों को कला, साहित्य, संस्कृति के आधार पर मनोनित कर सकता है।

|| समाप्त ||

**Sl.No. :** 1122892

| नामांक | | | Roll No. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 |

## S-08-Social Science

# माध्यमिक परीक्षा, 2019

# SECONDARY EXAMINATION, 2019

## सामाजिक विज्ञान

## SOCIAL SCIENCE

प्र:-30

उत्तर:-

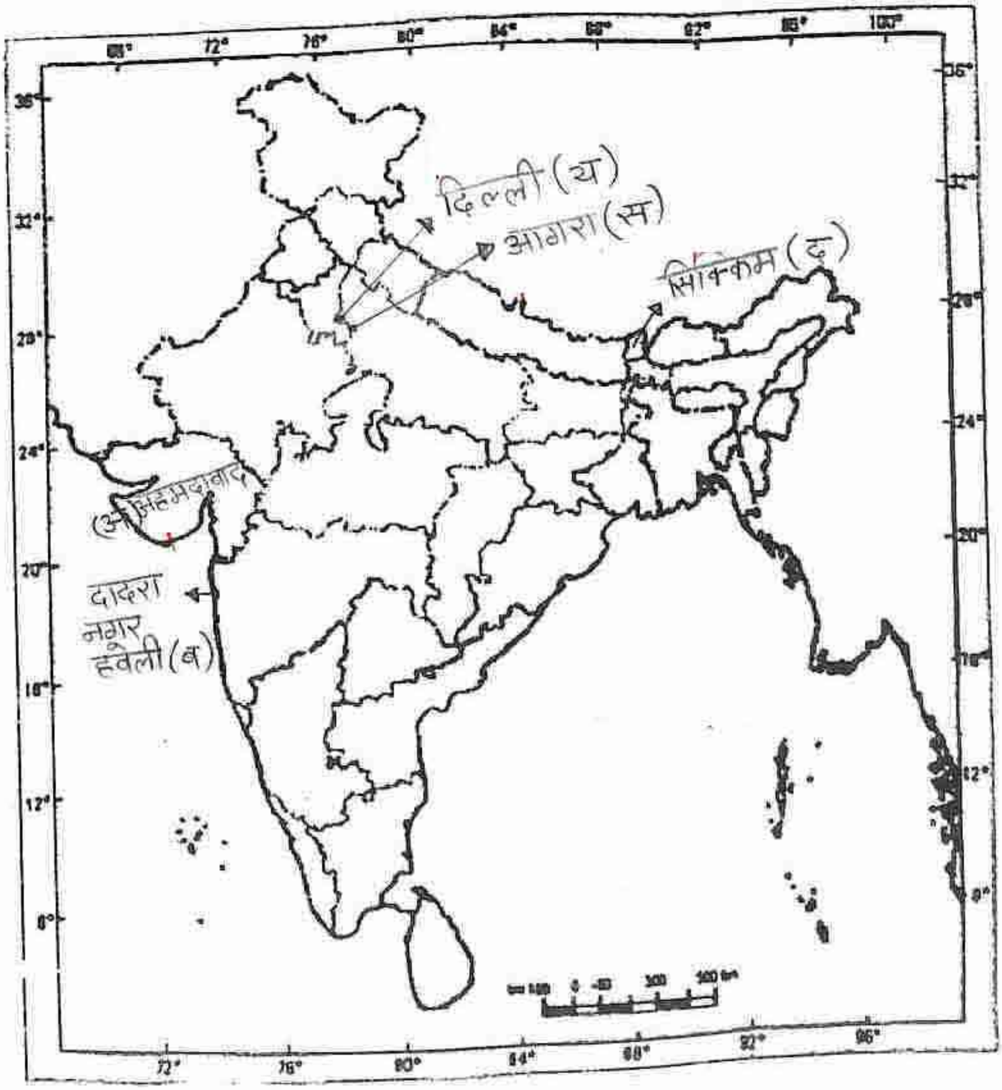

68°
72°
76°
80°
84°
88°
92°
96°
100°
36°
32°
28°
24°
20°
16°
12°
8°
दिल्ली (य)
आगरा (स)
सिक्किम (द)
(अ) अहमदाबाद
दादरा नगर हवेली (ब)